>

Title: Need to shift "subordinate judiciary" to the concurrent list in the Constitution to empower Union Government to frame laws/rules so as to clear the huge backlog of cases in counrts.

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): सभापति महोदय, वकीलों के बीच में एक कहावत है कि अदालतों में न्याय नहीं, फैसले हुआ करते हैं। जिस मुल्क के अखबारों में एक न्यायाधीश के माध्यम से यह खबर छपे कि जो बकाया मामले हैं, उन्हें निपटाने में 320 साल लगेंगे तो उस मुल्क के बारे में यही कहा जा सकता है - "मुल्क का कौम का इतना भी न म्यार गिरे कि सुर्खिया देखते हाथ से अखबार गिरे।" लोकतंत्र की जान न्यायपालिका है। अगर इस देश की जनता का विश्वास न्यायपालिका, न्याय प्रणाली से उठ जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा, लोकतंत्र को खोखला कर देगा।

सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि इस सरकार ने और यू.पी.ए. की जो पहले सरकार थी, उसने पहल की थी कि जो कानून-प्रणाली है, उसमें सुधार लाया जाए। ग्राम न्यायालयों की भी बात कही गई है। कई प्रदेशों में ग्राम न्यायालय शुरू भी किए गए हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो समस्या है, यह बहुत ही गम्भीर, बहुत ही संगीन है और शायद अब समय आ गया है कि न्याय-प्रणाली को ठीक करने के लिए इस संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और दो दिन तक बहस कराई जाए। वह रचनात्मक बहस हो और एक रण-नीति तैयार की जाए और उसे युद्ध-स्तर पर क्रियान्वित किया जाए। इस देश की जनता का न्याय-प्रणाली में जो विश्वास है, यदि वह उठ गया, तो देश में जो माओवाद जैसी समस्याएं हैं, उनसे हम नहीं निपट पाएंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।